

संख्या 413 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 413 में दर्ज खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.08 हैक्ट, खसरा नम्बर 1761 रकबा 0.32 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 1.40 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाय (अजमेर)